न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 24 / 2022
अनवान :–

1. भंवरलाल पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. श्रवण कुमार पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. कानाराम पुत्र लिलूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. महावीर पुत्र नत्थुराम हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. शिवभगवान पुत्र लिलूराम जाति नाई निवासी जसाना हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

5. कालुराम पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. नीटूराम पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. नोरगलाल पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. भागमल पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. महावीर पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. इन्दो पुत्री प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. रामादेवी पत्नी प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. सोहनलाल पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. तहसीलदार राजस्व नोहर जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अभिभाषक, सायलान
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अप्रा. न0 ,2

निर्णय दिनांक : 11/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायलान एव गैरसायलान की चिपती हुई खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 116 / 114 की कुल 2.2770है0 भूमि तथा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 95 / 95 की कुल 2.5300 एवं रोही मोजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 190 / 187 की कुल 2.9090है0 भूमि है।

सायलान व तरतीबी गैरसायलान अपने खेत में आवागमन के लिए प0न0 309 / 390(25) में जो मंजुरशुद्वा रास्ता है से होते हुए गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में आवागमन करते है सायलान व तरतीबी गैरसायलान के खेत में जाने के लिये प0न0 309 / 390(25) के किला न0 11 में दक्षिण दिशा में 1 बिश्वा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलकर अपने खेत में प्रवेश करते है इसके अलावा इनके खेत में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है यही स[illegible]तीकी व सुविधाजनक रास्ता है

उक्त रास्ता पर स[illegible] है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मन्जुर नही होने के कारण [illegible]ख्या 1 ता 4 हमेश[illegible]ा बन्द करने की ऐलानिया धमकी देते है ऐसा होने से सायला[illegible]के हको का हनन हो[illegible]रास्ता की भूमि के बदले में भूमि देने के लिये तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 190/187 के प0न0 309/390(25) के किला न0 11 में से दक्षिणी दिशा में 1– 1 गठठा रास्ता पश्चिम से पूर्व दिशा में स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान संख्या 1 ,3 , 4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैरसायल संख्या 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की अप्रार्थी महेन्द्र द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र 251ए प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अडचन पैदा करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीगण चक 5 आरपीएम के प0न0 309/390(25) के किला न0 19 में प्रवेश करने हेतु पत्थर लाईन किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 से होकर किला न0 21–1/2 व 22 में प्रवेश करते हुवे किला न0 19 में जाते है यही सुविधाजनक रास्ता है प0न0 के अलावा खेत के बीचो बीच में रास्त कानूनी तौर से नही दिया जा सकता है ना ही कुतर पाड रास्ता दिया जा सकता है केवल पत्थर लाईन पर ही रास्ता दिया जा सकता है प्रार्थीगण रामेश्वर पक्षकार नही हे क्योकि किला न0 21–1/2 व 22 रामेश्वर पुत्र हरखाराम जाति नाई का खेत है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान एवं गेरसायालन एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये स्वीकृत रास्ता नही है सायलान व तरतीबी गैरसायलान अपने खेत में आवागमन के लिए प0न0 309/390(25) में जो मंजुरशुद्वा रास्ता है से होते हुए गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में आवागमन करते है सायलान व तरतीबी गैरसायलान के खेत में जाने के लिये प0न0 309/390(25) के किला न0 11 में दक्षिण दिशा में 1 बिश्वा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलकर अपने ,खेत में प्रवेश करते है यही सुविधाजनक रास्ता है गेरसायलान के द्वारा अंकिन किया गया रास्ता घुमाबदार व अधिक दुरी पर है जो सुविधाजनक नही है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता सीधा स्वीकृत रास्ता से जुडता है एव सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है अतः सायालान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गेरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र 251ए प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अडचन पैदा करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीगण चक 5 आरपीएम के प0न0 309/390(25) के किला न0 19 में प्रवेश करने हेतु पत्थर लाईन किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 से होकर किला न0 21–1/2 व 22 में प्रवेश करते हुवे किला न0 19 में जाते है यही सुविधाजनक रास्ता है प0न0 के अलावा खेत के बीचो बीच में रास्त कानूनी तौर से नही दिया जा सकता है ना ही कुतर पाड रास्ता दिया जा सकता है केवल पत्थर लाईन पर ही रास्ता दिया जा सकता है ना ही सम्बधित को पक्षकार बनाया गया है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया सायलान एव गेरसायालन दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

सायलान का कथन [illegible] 390 (25) किला न0 19 में आवागमन करने के लिये [illegible] है सायलान गेरासायलान के किला न0 11 से होकर अपनी भूमि में पहुचते है जिस [illegible] रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है गेरसायलान का विरोध है कि उसका प्रार्थना पत्र पूर्व से ही रास्ता स्वीकृत करने का विचाराधीन है को प्रभावित करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायलान को पूर्व से ही अपनी भूमि में

..2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये रास्ता है अन्य रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है पूर्व से चालू रास्ता को ही स्वीकृत करवाने का अधिकारी है

सायलान का कथन स्वीकार योग्य है क्योकि कि सायलान की भूमि मु0न0 24 एव मु0न0 25 दोनो में है सायलान की भूमि मु0न0 24 में स्वीकृत रास्ता उपलब्ध है किन्तु मु0न0 25 के किला न0 19 के मध्य गैरसायल की भूमि आती है जिसमें रास्ता स्वीकृत करने पर ही सायलान का मु0न0 19 में पहचुन का रास्ता उपलब्ध हो सकता है

गेरसायालन का कथन की सायलान को पूर्व से रास्ता उपलब्ध है स्वीकार योग्य नही है सायलान का पूर्व में किला न0 19 के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है गैरसायलान के द्वारा अंकित किया गया रास्ता एक से अधिक किलों में धुमावदार रास्ता बताया गया है जबकि सायलान को सीधा एव छोटा रास्ता उपलब्ध है सकता है तथा रास्ता स्वीकृत करने के अन्य प्रार्थना पत्र में विधिअनुरूप सुनवाई उपरान्त निर्णय पारित किया जावेगा।

तहसीलदार नेाहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायलान पगडडी नुमा रास्ता से होते हुए अपने खेत में आवागमन कर रहे है तथा प0न0 308/390(24) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में से पक्की सडक चालू है सायलान प0न0 309/390 (25) किला न0 11 के दक्षिण दिशा से एक विश्वा रास्ता सबसे छोटा एव सुविधाजनक रास्ता है अन्य कोई रास्ता सायलान को उनकी भूमि किला न0 19 में प्रवेश हेतु नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के स्पष्ट है कि सायालन की भूमि मु0न0 25 के किला न0 19 में जाने के लिये कोई रास्ता नही है सायलान के किला न0 19 और स्वीकृत पक्की सडक के मध्य गेरसायलान की भूमि मु0न0 25 किला न0 11 है सायलान के किला न0 19 में पहुचने के लिये गेरसायलान के किला न0 11 में रास्ता स्वीकृत किया जाने पर सायलान सीधे ओर छोटे रास्ते से पक्की सडक से आसानी से आवागमन किया जा सकता है तथा सायलान रास्त में आने वाली भूमि की बदले में उतनी भूमि भी देने को तैयार है जिससे गेरसायलान के हित भी प्रभावित नही होते है।

किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित हे किन्तु जहॉ से रास्ता दिया जा रहा है वह सायल व अन्य काश्तकारो के लिये उपयोगी हो और अन्य किसी काश्तकार के हित भी प्रभावित नही होते हो प्रार्थी ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह न्यायोचित है जिससे गैरयायल के हित भी प्रभावित नही हो रहे है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी को उसकी भूमि में पहुचने के लिये स्वीकृत रास्ता से आगे स्वीकृत रास्ता नही है इसलिये सायल गैरसायल के किला न0 11 में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो मौका रिपोर्ट अनुसार उचित प्रतीत होता है

अतः सायलान/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की भूमि रोही मौजा चक 5 आरपीएम के प0न0 309/390(25) के किला न0 11 में दक्षिणी दिशा में 1—1 बिश्वा रास्ता पश्चिम से पूर्व स्वीकृत किया जाता है रास्ते में आने वाले भूमि के बदले में रोही मोजा चक 5 आरपीएम के प0न0 309/390 (25) के किला न0 19 में सायल संख्या 1 व तरतीबी गैरसायल संख्या 5 ता 9 किला न0 19 में से 1/2 बिश्वा भूमि पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को देगे तथा रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 95/95 के प0न0 309/390 (25) के किला न0 12 में सायल संख्या 2 व तरतीबी गैरसायलान संख्या 10 ता 12 अपनी भूमि के किला न0 12 में 1/2 विश्वा भूमि पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के चिपती हुई देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/6/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

..3

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2025 / 712 दिनांक 11/06/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 24 / 2022 निर्णय दिनांक 11/06/2025

अनवान :–

1. भंवरलाल पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. श्रवण कुमार पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. कानाराम पुत्र लिलूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. महावीर पुत्र नत्थुराम हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. शिवभगवान पुत्र लिलूराम जाति नाई निवासी जसाना हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

5. कालुराम पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. नीटूराम पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. नोरगलाल पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. भागमल पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. महावीर पुत्र जिराज जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. इन्दो पुत्री प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. रामादेवी पत्नी प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. सोहनलाल पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. तहसीलदार राजस्व नोहर जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

–तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि गैरसायलान की भूमि रोही मौजा चक 5 आरपीएम के प0न0 309 / 390(25) के किला न0 11 में दक्षिणी दिशा में 1–1 बिश्वा रास्ता पश्चिम से पूर्व स्वीकृत किया जाता है रास्ते में आने वाले भूमि के बदले में रोही मोजा चक 5 आरपीएम के प0न0 309 / 390 (25) के किला न0 19 में सायल संख्या 1 व तरतीबी गैरसायल संख्या 5 ता 9 किला न0 19 में से 1 / 2 बिश्वा भूमि पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण गैरसायलान संख्या 1 ता 4 को देगे तथा रोही मौजा चक 5 आरपीएम के खाता संख्या 95 / 95 के प0न0 309 / 390 (25) के किला न0 12 में सायल संख्या 2 व तरतीबी गैरसायलान संख्या 10 ता 12 अपनी भूमि के किला न0 12 में 1 / 2 विश्वा भूमि पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के चिपती हुई देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) नोहर